integrity of Manipur. Then the hon. Minister of State for Defence, Shri Mallikarjun, replied that there was no question of hc territorial integrity of India. My question was whether it had any relevance to the territorial integrity of Manipur, but the hon. Minister's answer was that there was no relevance to the territorial integrity of India. Now this has increased the apprehensions of the Manipuris all the more because, while the question relates to the maintenance of the territorial integrity of Manipur, the hon. Minister of the Central Government replied that there was no relevance to the territorial integrity of India. Now this has added fuel to the fire. At a time when the people of Manipur are apprehensive about the maintenance of the territorial integrity of Manipur, the hon. Minister from Delhi says it has no relevance to the territorial integrity of India. Is it indirectly admitting that the territorial integrity of Manipur is at stake? What is the answer of the hon. Minister of Defence to this?

Therefore, I submit that the Government of India or, for that matter, the Government of Manipur, should not be complacent about the territorial integrity of Manipur and the deteriorating law and order situation in Manipur.

Thank you, Sir.

Loss of lives and properties due to hailstorm in Rajasthan

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदा जब आती है तो इसका शिकार किसान होता है। चाहे बाढ़ आए , चाहे सर्दी और पाला जमे, चाहे सूखा हो, चाहे ओलावृष्टि हो, यह सारी प्राकृतिक आपदाएं किसान को भारी नुकसान पहुंचाती है। अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, यू॰ पी॰ हरियाणा के बहुत सारे एरिया के अंदर भयंकर ओला वृष्टि हुई है। विशेषकर राजस्थान का तीन चौथाई भाग इस ओला वृष्टि का शिकार हुआ है, वहां के किसान इसका शिकार हुए हैं। कई किसानों की इस ओला वृष्टि के कारण जान चली गयी है। हजारों जानवर मर गए, पक्षी तो रहे ही नहीं। किसानों की खेती चौपट हो गयी है। ऐसी हालत में आज किसान एक भिखारी की तरह बन गया है। न खाने को अनाज है, न जानवरों के चराने के लिए चारा है। ऐसी स्थिति में राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने एक महीना पहले खुद कम भाग में हुई ओला वृष्टि का सर्वेक्षण कराया था। लेकिन राजस्थान की सरकार पर राजस्थान की जनता का विश्वास नहीं के बराबर है क्योंकि राजस्थान में जो सरकार बैठी हुई है वह केवल घोषणाओं के माध्यम से है। असत्य बात करके, असत्य घोषणाओं के माध्यम से लोगों की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो राजस्थान के एरिये के अंदर ओला वृष्टि से नुकसान हुआ है उसका सर्वे करवाकर किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दें जिससे किसान अपना जीवनयापन कर सकें, अपने जानवर, अपने पशुओं को जीवित रख सकें और अपने परिवार का संचालन कर सकें। यही मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Thank you.

Shri Vayalar Ravi absent.

Statutory Resolution Seeking Approval of the Continuance of President's Proclamation under Article 356 in relation to the State of Uttar Pradesh. *(Contd.)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Now we take up the discussion on the Resolution moved by Shri Kamson regarding extension of the President's Rule in Uttar Pradesh.

There is one amendment by Shri Satya Prakash Malaviya. Kindly move your amendment without speech.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

"उक्त संकल्प में छः माह" शब्दों के स्थान पर दो माह शब्द प्रतिस्थापित किये जायें।

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Satish Agarwal): The Statutory Resolution and the amendment are now open for discussion.

Shri Sangh Priya Gautam to initiate the discussion जरा समय का ध्यान रखिएगा आप।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय.. **(व्यवधान)**

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश): आंखों को ज्यादा कष्ट मत दीजिएगा ...**(व्यवधान)**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: जबान को कष्ट दे रहे हैं ...**(व्यवधान)**

श्री संघ प्रिय गौतम: मुझे कभी कष्ट होता ही नहीं है।

माननीय गृह मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में 18 अप्रैल, 1996 से आगे 6 मास की अवधि तक राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने का प्रस्ताव इस सदन में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया है। मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विरोध, केवल औपचारिक विरोध के कारण नहीं, अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर, भारतीय संविधान के प्रावधानों और उनकी रूह के आधार पर, अपनी पार्टी के दृष्टिकोण के आधार पर और उत्तर प्रदेश की ...**(व्यवधान)**

Mr. Meena, I will make a relevant speech. Kindly have patience to listen to me. Moreover, I am retiring on the 1st of next month. Therefore, you should not interrupt me.

SHRI AJIT P.K. JOGI: You will come back Sir.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: But there will be a gap.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): That is why he wants elections to be held early. He cannot come without there being an Assembly.

श्री संघ प्रिय गौतम: उपसभाध्यक्ष जी, यह मेरे समय में न जोड़ें।

उत्तर प्रदेश की जन भावनाओं के आधार पर इस सरकार की बदनीयती के आधार पर तथा इस प्रस्ताव के पीछे राजनैतिक इच्छा की पूर्ति की दुर्भावना के आधार पर मैं इसका विरोध करता हूं। किसी भी प्रदेश में चुनी हुई सरकारों को भंग करना तथा प्रशासन को निलम्बित करना, यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है। संविधान निर्माताओं ने भारत के राष्ट्रभक्तों ने तीन वर्ष तक समुद्र मंथन करके भारत के संविधान का निर्माण किया था। देश के कोने-कोने से प्रत्येक वर्ग के मनीषी उसमें जुटे थे और अपने विचारों को व्यक्त किया था। आज के संविधान की धारा 352 से लेकर 356 तक राष्ट्रपति जी द्वारा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रावधान बनाए गए हैं। उस समय ड्राफ्ट संविधान में धारा 275 से 278 तक ये धाराएं थीं और इन पर सामूहिक चर्चा हुई थी।

मैं एक महान विद्वान जिन्होंने 2 अगस्त, 1949 को उस चर्चा में भाग लिया था श्री एच॰ वी॰ कामथ, मैं उनको उद्दृत करता हूं:

> "Let us remember that a constitution can be subverted not merely by agitators, rebels and revolutionaries but also by people in office, by people in power
>
> "We are making a constitution which will be promulgated in the last year of the first half of this century, and we will enter upon our life as a Republic in the second half of this century, a period to my mind pregnant with possibilities, pregnant with dangers, but pregnant also with great hope and good faith. Sir, let us beware of dangers and pitfalls in our path.
>
> "Let us see to it that the constitution that we are framing today is honoured, is observed and not subverted not merely by agitators, rebels and revolutionaries but also by those in office or in power."

ऐसे ही विचार अनेक मनीषियों ने व्यक्त किए थे। चर्चा का जवाब देते हुए एक पैरा संविधान निर्माता बाबा साहेब डा॰ बी॰ आर॰ अम्बेदकर का कथन, जो उन्होंने बोला था उद्दृत करना चाहता हूं:

> "In regard to the general debate that has taken place in which it has been suggested that these Articles are likely to be abused, I may say that I do not altogether deny that there is a possibility of these Articles being abused or employed for political purposes. But that objection applies to every part of

the Constitution which gives power to the Centre to override the Provinces. In fact, I share the sentiments expressed by my honourable friend, Mr. Gupte, yesterday that the proper thing we ought to expect is that such Articles will never be called into operation and that they would remain a dead letter.

"If at all they are brought into operation, I hope the President, who is empowered with these powers, will take proper precautions before actually suspending the administrations of the Provinces. I hope the first thing he will do would be to issue a warning to a Province that has erred that the things were not happening in the way in which they were intended to happen in the Constitution. If that warning fails, the second thing for him to do will be to order an election allowing the people of the Province to settle matters by themselves. It is only when these two remedies fail that he would resort to this Article."

मान्यवर अनेकों बार इस देश में अनेकों राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश में 1991 में लोक सभा व विधान सभा के, अगर मैं सही हूं तो, चुनाव साथ-साथ हुए थे और सामान्यतः अभी मई जून के महीने में लोक सभा और उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव साथ-साथ होने चाहिए।

मान्यवर, 1991 में भारतीय जनता पार्टी के श्री कल्याण सिंह के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनी। वह लोकप्रिय सरकार बनी और उसने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन एक अप्रिय घटना घटी जिस के कारण भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा जिस दल की सरकार थी, उस दल के शीर्षस्थ नेताओं पर मुकदमे कायम हुए, उन्हें जेल जाना पड़ा, आनुषांगिक संस्थानों पर पाबंदी लगायी गयी। बहुत प्रचार किया गया सारे देश में और कोशिश की गयी कि आगे आने वाले चुनावों में उस दल की सरकार न बने, लेकिन 1993 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को जितने मत 1991 में प्राप्त हुए थे, उस से 4 प्रतिशत मत ज्यादा 1993 में प्राप्त हुए और अकेले भारतीय जनता पार्टी को 177 विधायकों की सफलता के साथ बहुमत हासिल हुआ। उस के बाद दूसरा दल समाजवादी पार्टी का रहा जिसके नेता श्री मुलायम सिंह यादव थे और तीसरा दल बहुजन समाज पार्टी का था और इन दोनों दलों को मिलकर भी 174 विधायक थे। इस सरकार ने, तत्कालीन राज्यपाल ने संविधान का दुरुपयोग किया। जिस दल का बहुमत था उस दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए था। माननीय कल्याण सिंह ने अपना दावा पेश भी किया, लेकिन उन को आमंत्रित नहीं किया गया। यह संविधान का दुरुपयोग था जिस की आशंका संविधान निर्माताओं ने जाहिर की थी और जब वह सरकार बन गयी तो संविधान की सीमा के तहत उस सरकार को चलना चाहिए था लेकिन उसने संविधान को ध्वस्त कर दिया। हल्ला बोल, न्यायपालिका पर हमला, कार्यपालिका पर हमला, पत्रकारिता पर हमला, आम जनता पर हमला, विधवाओं के मकानों पर कब्जा, रिटायर्ड अधिकारियों के मकानों पर कब्जा, सरकारी मकानों पर कब्जा, महिलाओं के साथ बलात्कार और उत्तरांचल के लोगों के साथ मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई जिस के बारे में कि उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया, ये सभी असंवैधानिक कार्य थे, मगर उस समय इन्होंने संविधान का उपयोग नहीं किया। उस सरकार को बर्खास्त कर के उस समय राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था, लेकिन उस समय नहीं लगाया उधर खरीद फरोख्त कर विधायकों को तोड़ा गया। कल जनता दल के मेरे लायक दोस्त सच बोल रहे थे। खास तौर से जब आदमी बुड्ढा हो जाता है, रिटायरमेंट के करीब होता है या मरने के करीब होता है तो सच बोलता ही है। जनता दल के कितने एम० एल० एज० आए थे? चार रह गए सी० पी० आई० के अकेले ऊदल रह गए और आला, मलखान चले गए। कांग्रेस के भी कई विधायक तोड़ लिए। तब इन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया। मान्यवर, संविधान का उपयोग न करना, संविधान का दुरुपयोग करने का काम किया गया। उस के बाद सुश्री मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और जब उस सरकार से समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने वापिस लिया तो यह लिखकर दिया कि अब विधान सभा को भंग कर दीजिए और चुनाव कराइये। दूसरा सबसे बड़ा दल माननीय मुलायम सिंह जी का था। उन्होंने लिखकर दिया कि विधान सभा को भंग कर चुनाव कराए जाएं। मान्यवर, उस समय इन्होंने विधान सभा को भंग नहीं किया, निलंबित रखा और 8-10 दिन

बाद जब विधान सभा भंग की तो कारण क्या बताया? कहा गया हॉर्स ट्रेडिंग होगी।

Who created the situation for horse-trading? It was you.

अगर पहले ही दिन आप विधानसभा को भंग कर देते तो क्यों यह खरीदो-फरोख्त की दशा होती? आपने यह परिस्थिति पैदा की। आपको उसी दिन विधानसभा भंग करनी चाहिए थी। आपने ऐसा नहीं किया। जो आशंका संविधान के निर्माताओं की रही, आप उसी को कर रहे हैं।

मान्यवर, आपने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया तो आपका कर्त्तव्य क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्त्तव्य क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्त्तव्य यह है राज्य के बारे में, कि राज्य को बाह्य हमलों से बचावें, आंतरिक दंगों, संघर्षों, उपद्रवों से रक्षा करें और संविधान के अनुकूल सरकार काम करे इस बात को देखे। यह तीन चीज देखना केन्द्रीय सरकार का दायित्व है। आज मैं पूछना चाहता हूं गृहमंत्री जी से, कि उत्तर प्रदेश में क्या बाहरी हमला हो रहा है? क्या वहां पर उपद्रव हो रहे हैं? क्या सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं? क्या जातीय दंगे हो रहे हैं? सरकार आपकी है और अगर वह संविधान के अनुसार नहीं चल रही तो जिम्मेदारी आप पर है। क्या वहां पर बाढ़ से तबाही हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश में अकाल पड़ गया है? क्या उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ गया है? क्या उत्तर प्रदेश में महामारी, प्लेग की बीमरी फैल गयी है? क्या उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव नहीं चाहती? क्या आपने उसको पूछ लिया है और उसने मना कर दिया है? क्या उत्तर प्रदेश के राजनैतिक दलों को आपने पूछ लिया है? आपने नहीं पूछा, लेकिन आज मैं यहां से पूछूंगा। आज सबके चेहरों से नकाब उठ जाएंगे कि जनभावनाओं की कद्र कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। किस लिए आप राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाना चाहते हैं। आपकी नियत खराब है। आप राजनैतिक उद्देश्यों से यह अवधि बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कुछ मिलने वाला नहीं है।

मान्यवर, जो आठ नौ महीने पहले बकरीद के लिए बकरा खरीदता है और उसको खूब मेवा खिलाता है, अगर उस बकरे की मां से जाकर लोग कहें कि तेरा बेटा कटेगा तो बकरी हर मंदिर पर जाकर पूजा करे, सिर नवाए, लेकिन ईद के दिन बकरा कटे बगैर नहीं रहता। उसे कटना जो जरूर है यानि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। इसलिए क्या आपको इसका राजनैतिक लाभ होगा?

मान्यवर, जब हम आपसे योजनाओं के लिए पैसा मांगे तो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। योजना बीच में ठप्प रहती है। हम विश्व बैंक के पास जा रहे हैं पैसे के लिए। अब जब आम चुनाव दो बार कराएंगे तो पैसा भी दो बार बर्बाद होगा। अगर आप लोकसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में न कराएं और फिर कहें कि विधानसभा के चुनाव नहीं करा रहे, तो बात समझ में आती है। आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां सामान्य नहीं है, जम्मू-कश्मीर जैसी हैं और इसलिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव भी आप नहीं कराएंगे। आप मंत्री महोदय, स्पष्ट उत्तर दीजिए। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। आप सच बोलिए। बताइए। यदि आप लोकसभा के चुनाव कराएंगे तो वही प्रशासन, वही पुलिस, वही सारे इंतजाम ही तो रहने हैं, केवल बैलेट पेपर ही छपेंगे। इससे खर्चे से भी बचेंगे और बैनर, झंडे, कागज वगैरह भी बचेंगे। इससे वही कपड़े लोगों के नंगे तनों को ढकने के काम आएगा, वह कागज गरीब बच्चों की किताब और कापियों के काम आएगा, वह डीजल जमीन को हराभरा बनाने के काम आएगा। यह बर्बादी दो बार होने से बच जाएगी, मगर आपकी नियत बद है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

मान्यवर, अनेक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हुए। मैं इसे जल्दी जल्दी पढ़ता हूं, कोई एक महीने, दो महीने, तीन महीने या चार महीने बाद खतम हो गया। आंध्र प्रदेश में 15-11-54 से 28-3-55 यानि 4 महीने, गोवा में 14-12-90 से 25-1-91 अर्थात 1 महीना 11 दिन, गुजरात में 17-2-80 से 7-6-80 अर्थात 3 महीने 20 दिन, हरियाणा में 3-4-77 से 22-6-77 अर्थात 1 महीना 22 दिन और 6-4-91 से 23-4-91 अर्थात 2 महीना 17 दिन। हिमाचल प्रदेश में 30-4-77 से 22-6-77, एक महीना 22 दिन और जम्मू कश्मीर में एक बार 7-9-86 से 6.11.86, दो महीना। कर्नाटक में 31.12.77 से 27.2.78, एक महीना 27 दिन और 10.10.90 से 17.10.90, सात दिन। केरल में 1.11.56 से 5.4.57, पांच महीने 3 दिन, 4.8.70 से 3.10.70, एक महीना 29 दिन, 5.12.79 से 25.1.80, एक महीना 20 दिन, 21.10.81 से 28.12.81, दो महीने सात दिन, 17.8.82 से 24.5.82, दो महीने 7 दिन। मध्य प्रदेश में

17.2.80 से 9.6.80, तीन महीने 23 दिन। महाराष्ट्र में 3.4.77 से 23.6.77, एक महीना 24 दिन। मणिपुर में 21.1.72 से 20.3.72, दो महीने, 16.5.77 से 29.6.77, एक महीना 13 दिन, 14.11.79 से 13.1.80, दो महीने और 28.2.81 से 19.6.82, तीन महीना 19 दिन। मणिपुर में 7.1.92 से 8.4.92, तीन महीने एक दिन। मेघालय में 11.10.91 से 5.2.92, तीन महीने 24 दिन।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): यह सबको मालूम है।

श्री संघ प्रिय गौतम: अब मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बताता हूं। उत्तर प्रदेश में 7 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, अब इसे सुन लीजिए। 1.10.70 से 18.10.70, 17 दिन में खत्म हो गया, 13.6.73 से 8.11.73, चार महीने 26 दिन में समाप्त हो गया, 30.11.75 से 21.1.76, एक महीना 22 दिन में समाप्त हो गया, 30.4.77 से 23.6.77, एक महीना 24 दिन में समाप्त हो गया, 17.2.80 से 9.6.80, तीन महीना 23 दिन में, तो गृह मंत्री जी काहे को बढ़ा रहे हो एक साल के लिए? 6 महीने तो हो गए और 6 महीने ओर, किसलिए बढ़ा रहे हैं? कोई औचित्य नहीं।

मान्यवर, जैसा मैंने आपसे कहा कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। इसके पहले आपने जब राष्ट्रपति शासन लागू किए थे और सरकारें भंग की थीं तो कुछ कारण भी आपने बताए थे। अब तो आपको मौका मिला था काम करने का, आपको काम करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश को आपने तबाह और बर्बाद कर दिया है। जब से वहां राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। गन्ने की पिराई दिसम्बर में शुरू हुई, गन्ना खेतों में खड़ा हुआ है, मिलें ले नहीं रही हैं और क्रेशर वाले 75 रुपए क्विंटल के गन्ने को 25 रुपए क्विंटल में ले रहे हैं। किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दा है आपने और उसी गन्ने से गुड़ बना तो गुड़ के दाम 25 रुपए तक यानी 25 रुपए का पांच किलो। तो आज यह हालत आपने किसानों की कर दी है। आपने बिजली की आपूर्ति संतुलित नहीं की। 5000 किलोमीटर सड़कों के बारे में हमारी सरकार ने पैसा भी निर्धारित किया था, नहर और रजवाहों की पटरी आदि पर सड़क बनाने के लिए लेकिन आपने कोई सड़क नहीं बनाई। नया स्कूल एक नहीं खुला और पुराने स्कूलों में मास्टरों की नियुक्ति नहीं हुई, कमरे नहीं बने। कोई नया अस्पताल आपने नहीं बनाया। टिहरी बांध आपने नहीं बनाया। आनपाड़ा का बिजली घर आपने पूरा नहीं किया और आप यहां कल दुहाई दे रहे थे वह सो रहे हैं, जोगी जी, अब थोड़ा जग जाइए, आप कल यह कह रहे थे कि हमने अनुसूचित जाति, जनजातियों को आसमान में चड़ा दिया। प्राइमरी-हाई स्कूल स्टेज में 12 रुपए महीना वजीफा के बारे में कहा, वह उतना ही है, बढ़ाया नहीं। हाई स्कूल, डिग्री कालेज में 120 रुपया है, आपने बढ़ाया नहीं और ट्राइबल एरियाज़ में आश्रम पद्धति के स्कूलों में 200 रुपए प्रति बच्चा—उसी में खाना, उसी में कपड़ा उसी में रहना, क्या यह पूर्ति हो जाएगी? पांच ट्रेनिंग सेंटर्स, आई॰ए॰एस॰ और पी॰सी॰एस॰ के कोचिंग सेन्टर उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं लेकिन कोई प्रोफेसर वहां पढ़ाने नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक लेक्चर के लिए उसे 50 रुपए, बाबा आदम के जमाने में तय किए हुए, मिलते हैं। तो कौन प्रोफेसर 50 रुपए प्रति लेक्चर देने के लिए जाएगा?

तुम तो 200 रुपए रोज लेते हो और बैठते भी नहीं हो हाऊस में। मुफ्त ले रहे हो, आते भी नहीं हो ...(**व्यवधान**) अनुसूचित जातियों के लिए बड़ी डींग मार रहे थे आप कि केवल अनुसूचित जाति के ट्रेनिंग सेंटर हैं। इनमें कोई प्रवक्ता कोचिंग देने नहीं आता। इसलिए स्टेंडर्ड गिर गया है। कोई लाभ उनसे नहीं पहुंच रहा है। अम्बेदकर ग्रामों के लिए बड़ा भारी शोर आपने किया था। मैं दाद दूंगा मायावती सरकार को केवल एक काम के लिए ...(**व्यवधान**)... हमारी यही तो ईमानदारी है कि हम दुश्मन की अच्छाई को भी कहते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार): आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा ...(**व्यवधान**)...

श्री संघ प्रिय गौतम: अरे छोड़िए, कोई देश से निकाल देगा हमें? पार्टी से तुम्हें डर है, चापलूसी करो ...(**व्यवधान**)... मैं लीडर हूं बी॰जे॰पी॰ का मुझे कौन निकाल देगा?

I am a leader of the BJP. I am a sincere soldier of my party. What I say, I say that in accordance with the policy of my party, the programme of my party, the concern of my party.

आप जानते हैं, मैंने अपने आप को गिरवी नहीं रखा है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती कमला सिन्हा: आप मायावती की बात कर रहे थे।

श्री संघ प्रिय गौतम: मायावती ने एक काम अच्छा किया। हर डिवीजनल हैड हर क्वार्टर में जाकर कहा कि अम्बेदकर ग्रामों का मुझे प्रैक्टिकल दिखाओ। मेरठ में एक चीफ इंजीनियर लखनऊ से ट्रांसफर होकर आया था। वहां एक गांव का ट्रांसफॉर्मर फुंक गया। पता लगा कि मायावती आ रही है दो दिन बाद। तो वह चीफ-इंजीनियर नया ट्रांसफॉर्मर गाड़ी में लेकर आया, आगे नाला आया तो बैलगाड़ी में लेकर आया और जूनियर इंजीनियरों से बोला कि अगर मुझे सस्पेंड होने से बचाना है तो ये सुबह तक लग जाना चाहिए। अच्छे-अच्छों से उसने काम करवाए और उसने काम किए इस अम्बेडकर ग्राम के लेकिन तुमने क्या किया? 400 करोड़ रुपए के ऐस्टीमेट ...(व्यवधान)...

श्री अजीत जोगी: फिर क्यों मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया उनको?

श्री संघ प्रिय गौतम: 400 करोड़ रुपए का ऐस्टीमेट जो स्वीकृत किया था, वह पैसा आज तक रिलीज़ नहीं हुआ आम्बेडकर ग्रामों के काम का। और अम्बेडकर ग्रामों का मतलब होता है 50 फीसदी से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग जिन गांवों में रहते हैं। यह आपकी मुहब्बत है उनके प्रति जिसकी डींग आप मार रहे थे कल यहां। ये घड़ियाली आंसू हैं।

लोग कहते थे कि मायावती सरकार ने रोजगार बना रखा है ट्रांसफर का। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। जब से राष्ट्रपति शासन आया, जरा इनका आलम देखिए आप। इन्होंने 37 डी०एम० के ट्रांसफर किए, 45 एस०एस०पी० के ट्रांसफर किए, 105 डिप्टी एस०पी० के ट्रांसफर किए, 70 पी०सी०एस० अधिकारियों के ट्रांसफर किए। महोदय, 1993 में मुलायम सिंह जी ने किए, 1995 में मायावती जी ने किए और 1995 के उत्तरार्द्ध में इन्होंने किए और अब तक ट्रांसफर्स का सिलसिला जारी है। करीब 7 ट्रांसफर आज हुए, 6 ट्रांसफर कल हुए, 5 ट्रांसफर परसों हुए आई०पी०एस० और आई०ए०एस० अधिकारियों के। एक अधिकारी तो ऐसा है जो हरिद्वार में एस०पी० था, उसको मथुरा में पोस्ट किया गया ताकि विश्व हिन्दू परिषद पर नजर रखे, कृष्ण मंदिर के बराबर वाली मस्जिद के मामले में। उसने लॉ ऐंड ऑर्डर सिचुऐशन को कंट्रोल किया, उसे इनाम दिया गया और डी०जी०पी० ने भरी मीटिंग में उसकी तारीफ की। लेकिन आज से 15 दिन पहले उसका ट्रांसफर इंटेलिजेंस रीजन, आगरा में कर दिया गया और कल ही मैंने पढ़ा कि उसका ट्रांसफर पी०टी०सी० मुरादाबाद कर दिया गया है।

3 P.M.

क्या यह आपका रोजी-रोटी का धंधा नहीं बन गया है? या इसमें जो चार्ज उनके ऊपर था कि बिरादरी के नाम पर तबादले हुए हैं तो यह सब बिरादरी के नाम पर नहीं हुए हैं क्या? खैर, एक बिरादारी के अनुसूचित जाति के यह सारे अधिकारी ट्रांसफर किए गए हैं। यह है आपकी मौहब्बत। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी। कलक्टर ट्रांसफर हुए तो अनुसूचित जाति के, एस०एस०पी० ट्रांसफर हुए तो अनुसूचित जाति के। हैड आफ दि टिपार्टमेंट जहां 45 में 15 थे, आज 3 हैं शैड्यूल्ड कॉस्ट के। डिवीजनल कमिशनर जहां 6 थे वहां दो हैं। मेरे पास यह आथंटिक आंकड़े हैं। आपका यह सिलसिला अभी रुका नहीं है। मान्यवर, आपने नर्क में डाल दिया है उस सूबे को। तो कौन जाएगा नर्क में। वहां की जनता डालने नहीं देगी। गृह मंत्री जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि क्या आपने चुनाव आयोग से पूछ लिया है और चुनाव आयोग ने मना कर दिया है कि अब इस स्थिति में नहीं है कि यू०पी० में चुनाव नहीं हो सकते। उन कारणों के अलावा अगर चुनाव आयोग मना करदे तो हम मान लेंगे कि किसी हद तक चुनाव आयोग असमर्थ है और आप इसलिए नहीं करा रहे हैं। चुनाव आयोग ने पत्र लिखा है। हमारे सलीम भाई यहां इस समय नहीं हैं, सुबह उन्होंने मुद्दा उठाया और कहा था कि भाजपा-कांग्रेस को छोड़कर— रामो वामो हालांकि बगैर कमो। ...(व्यवधान)... कलगए रामो-वामो, बिना कामो ...(व्यवधान)... यह गए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप चुनाव कब कराएंगे। ...(व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल): आप तो जमानत ट्राई कर रहे थे उस समय ...(व्यवधान)...

श्री संघ प्रिय गौतम: बस, लास्ट सेंटेंस। अगर आप चाहते हो तो अभी यहां हमको समर्थन करो कि चुनाव समय पर होने चाहिए और अभी होने चाहिए, लोक सभा के साथ होने चाहिए। छः महीने का समय

आप क्यों मांग रहे हैं? आप बताइए कि चुनाव कब कराएंगे और जब आप कराएं उस वक्त तक का समय आप मांगें, फिर हम अपनी बात कहेंगे। इससे साफ जाहिर है कि आप अक्तूबर में चुनाव कराएंगे और अक्तूबर में चुनाव होंगे नहीं, तो उस स्टेट का कौंसिल में रिप्रजेंटेशन कैसे होगा? राज्य सभा के जो 11 सदस्य वहां से आते है, तो वह स्टेट अन-रिप्रजेंटेड रहेगी जब तक। क्या यह असंवैधानिक बात नहीं है?

Is it not subversion of the Constitution? Why?

आप क्यों उनको प्रिवेंट कर रहे हैं। तो मैं बड़े अदब के साथ आपसे निवेदन करूंगा ...**(व्यवधान)...**

श्री नीतोत्पल बसु: हमदर्दी है आपसे।

श्री संघ प्रिय गौतम: कृपया मुझसे हमदर्दी न करो, देश से हमदर्दी करो। उपसभाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए माननीय गृह मंत्री जी, जो बहुत भले आदमी है, बड़े गंभीर हैं, मैं उनका बड़ा अदब करता हूं कि कम से कम चूंकि मैं वकील रहा हूं, आप भी रहे हैं। जब आदमी के चोट लग जाए और मरणासन्न स्थिति में हो जाए, जैसे हम रिटायर हो रहे हैं तो हम सच ही बोलेंगे। तो जो आखिरी स्टेटमेंट-डाइंग डिक्लेरेशन होता है, आप मेहरबानी करके जब your party is dying, kindly make a *true statement.*

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अवधि छः माह और बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव गृह मंत्री जी ने पेश किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। साथ ही मैं अपनी बात गौतम जी की उस बात से प्रारम्भ करता हूं कि संविधान के निर्माताओं ने धारा-352 से 356 जिसमें संविधान के अंदर राष्ट्रपति को अधिकार दिया है, यह उन संविधान निर्माताओं की बड़ी सोच थी। यू॰पी॰ जैसे राज्य के अंदर सन् 1990 से कुछ ऐसी साम्प्रदायिक शक्तियां, जातिवादी शक्तियां य॰पी॰ के अंदर ऐसा जहर घोलने के लिए उत्पन्न हुई। यू॰पी॰ के अंदर एक ऐसा ज़हर घोलने के लिए उत्पन्न हुई जिसके कारण बार-बार यू॰पी॰ में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ानी पड़ी। 90 में चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की सरकार, मिली-जुली सरकार बनी। मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री बने लेकिन मंडल और कमंडल के झगड़े के अंदर यह सरकार डेढ़ साल ही चल पाई और एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि पूरे राज्य के अंदर कहीं साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं, कहीं जातीय दंगें हों रहें हैं। डेढ़ साल के बाद चुनाव हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर जो चुनाव लड़ा बहुमत प्राप्त किया, कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री बने लेकिन कल्याण सिंह जी ने क्योंकि उनकी जैसी भावना थी, जैसी उनकी नीतियां थीं, उसके मुताबिक उच्चतम न्यायालय को धोखा दिया। झूठा हलफनामा पेश किया, संसद को धोखा दिया, 90 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों को धोखा दिया और अयोध्या में धोखाधड़ी करके एक ऐसी भावना, पूरे देश के अंदर साम्प्रदायिकता की जो आग थी, उसको प्रज्वलित कर दिया। तब इस राष्ट्रपति शासन की जो धाराएं हैं 352 और 356, ये बहुत जरूरी हो गई थीं देश की रक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश की रक्षा के लिए और लोगों को शांति मिले, लोग अपना जीवन शांतिमय ढंग से जी सकें, उसके बाद चुनाव हुए। साम्प्रदायिक शक्तियां हारीं लेकिन जो शक्तियां राज में आई थीं, वे जातिवादी शक्तियां थीं और जातिवादी शक्तियों ने ऐसा जहर घोला कि शेड्यूल्ड कास्ट की महिलाओं के साथ बलात्कार जगह-जगह पर यू॰पी॰ में होने लगे। कई घटनाएं, सैकड़ों घटनाएं ऐसी हुई जो जाति विशेष के लोगों ने शेड्यूल्ड कास्ट की महिलाओं के साथ कीं, अत्याचार किए, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की जमीन-जायादादें छीन लीं, महिलाओं के साथ सामुहिक रूप से बलात्कार किए गए। यहां तक कि उत्तरांचल की मांग करने वाली महिलाएं, जो मुजफ्फरनगर में उनके साथ घटना हुई है और अभी उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, उससे तो यह साबित हो जाता है कि यू॰पी॰ के अंदर ऐसी शक्तियां कायम हैं कि जब तक ये शक्तियां वहां से हट नहीं जाएं, समाप्त नहीं हो जाएं, तब तक यू॰पी॰ में राष्ट्रपति शासन लागू रहे तो वहां के लोग बड़ा शांत और सुखी जीवन जी सकेंगे लेकिन ...**(व्यवधान)...**

एक माननीय सदस्य: उस समय राष्ट्रपति शासन नहीं था, उस समय तो आप शासन में थे।

श्री मूलचन्द मीणा: अब मेरी ही बात सुन लो या तो मैं कह लूं, मैं बैठ जाता हूं। नहीं, मैं बैठ जाता हूं, बोलो?

उपसभाध्यक्ष: (श्री सतीश अग्रवाल): बोलिए, बोलिए, ऑर्डर प्लीज्। नो रनिंग कमेंटरी ...**(व्यवधान)...**

श्री मूलचन्द मीणा: लेकिन उस शासन में जब शेड्यूल्ड कास्टस, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पिछड़े वर्ग के लोगों

का जो शासन था, वहां पर कुछ उच्च वर्ग में जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेडयूल्ड ट्राइब्स और पिछड़े वर्ग को नहीं चाहते हैं, ऐसी पार्टी के लोगों ने, उन लोगों में फूट डालने का काम किया। फूट डाली गई और मायावती जो शेड्यूल्ड कास्ट की महिला थी, उसको सपोर्ट करके मुख्य मंत्री बनाया। मैंने यह सोचा उस समय कि भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि आई है कि शेड्यूल्ड कास्ट की महिला को मुख्य मंत्री बनाया है और उसको सपोर्ट किया है लेकिन यह एक धोखा था शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ, शेड्यूल्ड कास्ट की महिला के साथ और ऐसा धोखा किसी ने किसी को दिया नहीं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत थे, उस में कहीं शेड्यूल्ड कास्ट का नामो-निशान नहीं था उनकी नीतियों के अंदर इसलिए वह नहीं चल पाई और उनको चार महीने में अपना समर्थन वापस लेना पड़ा।

अभी गौतम जी कह रहे थे शैड्यूल कास्ट के सदस्यों से, शैड्यूलकॉस्ट के अधिकारियों से बात कर रहे थे, पहले उनको अपनी पार्टी के अन्दर जाकर इस बात को कहना चाहिए कि शैड्यूल कास्ट की महिला पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बनी है, उसको कम से कम एक साल शासन करने देना चहिए, लेकिन नहीं कहा। वहीं लोग जिन लोगों ने 15 दिन पहले विधान सभा भंग करवा दी और 15 दिन बाद कहने लगे कि हमें सरकार बनाने दो, हमारा बहुमत है। ये कैसें राज बना सकते हैं जिन्होंने संविधान और उच्च न्यायालय को झूठ बोलकर धोखा दिया, जनता को धोखा दिया, आज भी ये परिस्थितियां है कि अगर यू०पी० के अन्दर चुनाव हुए तो निश्चित रूप से साम्प्रदायिक दंगे होंगे, निश्चित रूप से जातिवादी शक्तियां उभर कर सामने आयेंगी। इसलिए मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ...(**व्यवधान**)...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: इसका मतलब है कि लोक सभा के चुनाव भी न हों?

श्री मूलचन्द मीणा: ये यू०पी० में राज प्राप्त कर सकती हैं लेकिन लोक सभा में ये शक्तियां आ नहीं सकतीं, राज प्राप्त नहीं कर सकतीं और न साम्प्रदायिक शक्तियां ही लोक सभा से बहुमत पा सकती हैं। इसलिए साम्प्रदायिक और जातिवाद की शक्तियां यू०पी० के अन्दर ही लोगों को बहला कर राज प्राप्त कर सकती हैं। अतः मै निवेदन करना चाहूंगा कि आज छह महीने की अवधि उत्तर प्रदेश में बढ़ाने की बात है, छह महीने की अवधि तो सहर्ष बढ़ाइये, लेकिन जब तक ये शक्तियां खत्म न हो जायें, यू०पी० के अन्दर लोगों को शान्ति न मिल जाये, अशान्ति पैदा करने वाली शक्तियों से छुटकारा न मिल जाए तब तक इस अवधि रोकने के लिए बढ़ाये और, और छह महीने के बाद भी ये शक्तियां उभर कर सामने आये तो इनको दुबारा रोकने के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ायें और हम इसका सहर्ष समर्थन करते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): बहुत-बहुत धन्यवाद, श्री मीणा जी।

SHRI NILOTPAL BASU: Mr. Vice-Chairman Sir, at the very outset, I would like to point out that our party and we have been, on principle, for elected legislatures and for governance of States by elected Governments. Therefore, we are principally not in a position to support this Resolution. But, at the same time, we have to make certain points. I have heard my friend, Shri Gautam, with rapt attention. The problem is he was lamenting over the situation during the President's rule. He was also lamenting over the situation during the tenure of Shri Mulayam Singh Yadav as Chief Minister. He was also referring to certain unfortunate developments for which the Kalyan Singh Government had to go. He was also quoting profusely from the Constitution and from case studies. My first question is this. I would like to know whether the BJP or, for that matter, any leader of the BJP—he claims himself to be one—has any moral right, moral authority, to vouch for the Constitution. He did not elaborate what that unfortunate development was. Sir, that unfortunate development relates to the blackest day in the history of the Indian Constitution, i.e. the 6th December, 1992 when an elected Government, elected by the people and vouching for the Indian Constitution, trampled the constitutional provisions under foot. Shri Gautam did not quote the verdict of the Supreme Court which upheld the invoking of

article 356 for the removal of Kalyan Singh Government *vis-a-vis* the need for maintaining the secular fabric of the country and condemned the acts of the Government which, being elected through the constitutional process, was to sabotage the very spirit of the Constitution itself.

If today there is President's Rule in the State of UP, it is the BJP's own doing. What did he say? He said that the Governor did a very bad thing, He did not invite the leader of the single largest party in the Legislature. But what has been the BJP's record? Why did the Mulayam Singh Yadav's Government go? Who indulged in all kinds of unprincipled opportunism? The BSP had won elections and had got themselves elected to the Legislature. As part of an alliance, it was the BJP which engineered defections and brought down the Government thereby sabotaging the Constitutional spirit. We have not illusions about the Governor's Rule. A lot of things that are happening need to be condemned with all the strength and force that we can command. But the point is that it is the BJP's doing. The ushering in of the President's Rule is the BJP's own making in the State. Our point is that, we want early elections. Elections should have been held before the 17th of April so that the Government would not have the need to come before this august House seeking an extension of the President's Rule. Mr. Vice-Chairman, Sir, you are aware that today, in the country, because of the revelations, the Hawala scandal, corruption charges and the scams, people are talking about the reforms in the political system and also about electoral reforms. Whatever initial interaction has been there among the various parties, one basic agreement is there that electoral reforms have to be made. The main point in the electoral reforms is the reduction in the expenses. We are not a very rich country and in a State like UP, we cannot afford to hold within short intervals two elections one to the State legislature and one to the Parliament. Therefore, in principle, our party is for holding simultaneous elections in UP. But that would have been possible had the Congress party, had the Government agreed to the propsoal of holding elections in February or in March. But they did not do so. It was the Congress which said that they would hold elections some time in April. Even in April simultaneous elections could have been held. But Mr. Vice-Chairman, Sir, you have been a witness as much as I have been to the proceedings of the House in the morning. The Prime Minister is not prepared to go by the commitment that the Congress party had made officially before the Chief Election Commisioner and the Election Commission. So, in that kind of a situation there will be a couple of weeks delay after April seventeenth. We are not for holding of separate elections to the UP Assembly. So the point is that if the Lok Sabha elections are to be held before April 17th—the Govenrment can enable itself—it should not exercise this right of extending the President's Rule. Indeed, if election were to take place a little later, maybe, in the last week of April, then for 15 days the extension may have to be made. So, we are not in a position to support the resolution. So, we are not in a position to support the Resolution because, on principle, this is a situation which is the making of the Government. They could have avoided it by announcing the Lok Sabha election earlier so that simultaneous elections could have taken place. At the same time, it is also the making of the BJP which is now grumbling over the state of President's rule. This had to happen given the kind of unprecedented politics in which it indulged by breaking away the BSP from the BSP-SP combine and by violating the very spirit of the electoral verdict, the people's mandate, and later on dumping the BSP. Now, we see in Uttar Pradesh, particularly there is a very serious situa-

tion in terms of anarchy in the administration, attacks on the Scheduled Castes and other weaker sections of the society. At the same time, the Government is also not effectively handling the communal pressure which is being sought to be raised in certain districts. It is good that in simplicity, Gautamji has reffered to the BJP and the VHP being the political forces of a similar ideological orientation. And you know, perhaps more than me, that the VHP is again raising that slogan because it knows that it will be very difficult to sustain itself politically after what is heppening. They are saying that is the left and the National Front which have gone to the Election Commissioner. In fact, we were doing some effective work in holding early elections in Uttar Pradesh. It is very unfortunate but it is a fact that the BJP leaders could not go because they were arranging the bail application for Shri Advani...*(Interruptions)*

श्री संघ प्रिय गौतमः कल हमारा डिमान्सट्रेशन था...(व्यवधान) भा०ज० युवा मोर्चा का प्रदर्शन था।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Mr. Gautam, please take your seat...*(Interruptions)*

THE NILOTPAL BASU: I think that it is very good because leaders like Advaniji and Madan Lal Khuranaji are very good examples to be set before the youth. And I understand that they are legitimately busy with the rally...*(Interruptions)*

AN HON. MEMBER: Look at what is happening in West Bengal.

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI SATISH AGARWAL): Mr. Basu, you continue your speech.

SHRI NILOTPAL BASU: I think that this kind of frustrated remarks do not merit any response.

So, Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to conclude by saying that the rule of law has to prevail, democracy has to prevail, early elections have to be there. It depends squarely on the Central Government as to when they will recommend to the Election Commission so far as holding the Lok Sabha polls are concerned. Then, simulteneously, the Assembly elections can take place. And for that, naturally, there is no way out but to avoid President's rule. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Shri Jalaludin Ansari. You have got three minutes. What will you speak in three minutes? Of course, we have to finish the Bill.

श्री जलालुद्दीन अंसारीः (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति शासन की अवधि अगले छः महीने तक बढ़ाने की बात के संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि छः महीने के अन्दर उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं हो सका। वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया लेकिन इस बीच में भी चुनाव नहीं कराये जा सके। जहां तक अवधि बढ़ाये जाने की आवश्यकता है, जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें यह आवश्यक है...(व्यवधान)...

†[شری جلال الدین انصاری "بہار":
اپ سبھا ادھیکش مہودے - راشٹرپتی
شاسن کی اودھی اگلے چھ مہینے کے اندر
تک بڑھانے کی بات کے سندربھ میں میں
یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چھ مہینے کے اندر اترپردیش
ودھان سبھا کا چناؤ ہو جانا چاہیئے تھا۔
لیکن وہ نہیں ہو سکا - جن کارنوں سے وہاں
راشٹرپتی شاسن لاگو کیا گیا اس بیچ میں
بھی چناؤ نہیں کرائے جا سکے - جہاں تک اودھی
بڑھائے جانے کی آوشیکتا ہے - جو ورتمان راجنیتک
پرستھتی ہے - اس میں یہ آوشیک ہے - "مداخلت"]

†[] Translation in Arabic script.

श्री संघ प्रिय गौतमः कराए नहीं गये (व्यवधान) जान बूझ नहीं कराए गए **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) क्या यह आवश्यक है कि जब भी कोई मैम्बर बोले, आप बीच में बोलें। सदन में हर एक को बोलने की आज़ादी है हर एक का दृष्टिकोण अलग-अलग है।

श्री जलालुदीन अंसारीः राष्ट्रपति शासन अवधि बढ़ाई जाए, यह अभी आवश्यक है। लेकिन आशंका है कि केन्द्रीय सरकार इन 6 महीनों तक राष्ट्रपति शासन बढ़ा कर के इस बीच में उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाव नहीं कराएगी। यह आशंका निराधार नहीं होगी क्योंकि इनकी नीयत अच्छी नहीं है। मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से मांग करता हूं कि लोक सभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाव कराने के लिए गारंटी की जानी चाहिये। राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र का शासन। अभी उत्तर प्रदेश में केन्द्र का शासन है लेकिन वहां पर जो माफिया गिरोह है, अपराधिक गिरोह है उनका आतंक बड़े पैमाने पर खास कर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़िलों में है **(व्यवधान)**

श्री संघ प्रिय गौतमः बिहार से मिले हुए हैं।

श्री जलालुदीन अंसारीः बिहार और उत्तर प्रदेश मित्र हैं और आप भी हमारे मित्र हैं। अभी गाज़ीपुर, बनारस और मिर्ज़ापुर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, इनमें माफिया गिरोह और अपराधकर्मी गिरोह काफी सक्रिय है और पुलिस प्रशासन उन्हें नियंत्रण करने में पूर्णतयः विफल है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी की एक सभा थी जिसकी सूचना संबंधित पुलिस अधिकारियों को और प्रशासन को दे दी गई थी। हमारे राज्य के सहायक सचिव श्री अशोक मिश्रा मुख्य वक्ता थे। वे एक मित्र की कार ले कर वहां गये थे। अपराधकर्मी गिरोह ने वहां फायरिंग की उस मीटिंग पर और उनकी कार को जला दिया गया। पुलिस और प्रशासन वहां पर नहीं पहुंचे। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उसकी भी जांच करा लें। यह हाल ही की घटना है। अगर इसी तरह से राष्ट्रपति शासन के अन्दर विधि-व्यवस्था को आप बरकरार रखेंगे तो आपके ऊपर जनता का विश्वास तो खत्म हो ही चुका है और जो थोड़ा बहुत बचा है, वह भी समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन का मतलब लोग समझते हैं परोक्ष रूप से आपका राज चल रहा है और जिन राजनीतिक कारणों से उत्तर प्रदेश में यह स्थिति पैदा हुई है उसके लिए केन्द्र सरकार भी जवाबदेह है। इतने दिनों तक राज करने वाली जो प्रमुख पार्टियां हैं, वह भी जवाबदेह हैं जिन्होंने इस स्थिति को पैदा किया **(व्यवधान)**

श्री अजीत जोगीः आप सब भी जबावदेह है **(व्यवधान)**

श्री जलालुदीन अंसारीः जोगी जी आप अपनी जवाबदेही का ख्याल रखिये। हम अपनी जवाबदेही का पूरा-पूरा ख्याल रखते हैं। आप इस देश की बड़ी पार्टी हैं। केन्द्र में शासन आपका है। इसलिए सब से अधिक जबावदेही आपकी है। आप मस्जिद तुड़वाने में सांझीदार हैं, वहां जो परिस्थिति है उसके लिए आप सांझीदार हैं। दूसरे लोगों के साथ-साथ इस अपराध की जवाबदेही से आप बरी नहीं हो सकते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं **(व्यवधान)** वह भी आपके मित्र हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह मस्जिद नहीं टूटेगी और आडवाणी जी तथा कल्याण सिंह पर उनको विश्वास था लेकिन दोनों ने मिल कर के देश की जनता के साथ, संसद् के साथ विश्वासघात किया। इस जवाबदेही से हिन्दुस्तान की जनता आपको बरी नहीं मानती है। इसका जवाब समय पर जनता आप से भी और उनसे भी लेगी, सब से लेगी। इसलिए आप इससे अलग नहीं हो सकते हैं। यह मैं कहना चाहता हूं। इसलिए अंत में हम दो मुख्य मांग करते हैं कि राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई जाए। लेकिन लोक सभा के साथ उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव कराने की केन्द्र सरकार गारंटी करे। दूसरा, कि राष्ट्रपति शासन में जो विधि और व्यवस्था की हालत बहुत खराब है उसमें पुलिस और प्रशासन को चौकस करके, सतर्क करके विधि और व्यवस्था को नियंत्रित किया जाए और अपराधकर्मी गिरोहों और माफिया को बंद करें, उनकी हरकतों पर सख्त कार्यवाही करें ताकि आम जनता को अमन और कानून के सहारे जीने का अवसर प्रदान करें। यह भी आपकी जवाबदेही है। तो राष्ट्रपति शासन में आप किसी दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकते हैं ...**(व्यवधान)** राज्यपाल तो इनके मातहत ही हैं ...**(व्यवधान)** और हवाला में हैं तो हवाला का तो जो मामला है वह अलग मामला है उसमें कानून अपनी कार्यवाही करेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ समर्थन करते हुए हमारी दो मांगें हैं और हम माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि इस सदन की भावनाओं और जनता की भावनाओं का ख्याल करते हुए समय पर चुनाव कराइए, जन प्रतिनिधियों की सरकार बनाइए। उसकी जवाबदेही होगी कि अपनी जवाबदेही का पालन करे और अभी जो आपका राज्य वहां पर है उसमें विधि, व्यवस्था और जनता की सहूलियतों का ख्याल करें, उसमें सुधार करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

†[شری جلال الدین انصاری: راشٹرپتی شاسن کے اودھی بڑھائی جائے - یہ بھی آوشیک ہے - لیکن آشنکا ہے کہ کیا کیندریہ سرکار ان ۹ مہینوں تک راشٹرپتی شاسن بڑھا کر شاسن بیچ میں اترپردیش ودھان سبھا کا چناؤ نہیں کرائیگی - یہ آشنکا نرادھار نہیں ہوگی کیونکہ انکی نیت اچھی نہیں ہے - میں اپنی اور سے تتھا اپنے اور سے تتھا اپنے دل کی اور سے مانگ کرتا ہوں کہ لوک سبھا چناؤ کے ساتھ ہی اترپردیش ودھان سبھا کا چناؤ کرانے کیلئے کارروائی کی جانی چاہیئے - راشٹرپتی شاسن کا مطلب ہوتا ہے - پرتیکش یا پروکش روپ سے کیندر کا شاسن - ابھی اترپردیش میں کیندر کا شاسن ہے لیکن وہاں پر جو مافیا گروہ ہے - اپرادھی گروہ ہے انکا آتنک بڑے پیمانے پر خاص کر پوروی اترپردیش کے ضلعوں میں ہے - "مداخلت"

شری سنگھ پریے گوتم: بہار سے ملے ہوئے ہیں -

شری جلال الدین انصاری: بہار اور اترپردیش متر ہیں اور آپ بھی ہمارے متر ہیں ابھی غازی پور بنارس اور مرزاپور جو پوروی اترپردیش کے ضلعے ہیں

انمیں مافیا گروہ اور اپرادھی گروہ کافی سکریہ ہیں اور پولیس پرشاسن انمیں نینترن کرنے میں پورنیتہ ویفل ہے - میں ادھارن دینا چاہتا ہوں - ابھی کچھ دن پہلے بہارتیئے کمیونسٹ پارٹی کی ایک سبھا تھی جسکی سوچنا سمبندھت پولیس ادھیکاریوں کو اور پرشاسن کو دی گئی تھی ہمارے راجیہ کے سہایک سہیوگی شری اشوک مشرا ملکیہ وکتا تھے - وہ ایک متر کی کار لیکر وہاں گئے ہوئے - اپرادھی گروہ نے وہاں پر فائرنگ کی اس میٹنگ پر اور انکی کار کو جلا دیا گیا - پولیس اور پرشاسن وہاں پر نہیں پہونچے - میں مانیئے گرہ منتری جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسکی بھی جانچ کرا لیں - یہ حال ہی کی گھٹنا ہے - اگر اسی طرح سے راشٹرپتی شاسن کے اندر ودھی ویوستھا کو آپ برقرار رکھیں گے - تو آپ کے اوپر جنتا

کا وشواس ختم ہی ہو چکا ہے اور تھوڑا
بہت جو بچا ہے وہ سماپت ہو جائیگا۔ راشٹرپتی
شاسن کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں پروکش
روپ سے آپکا راج چل رہا ہے۔ اور جس
راج نیتک کارنوں سے اتر پردیش میں یہ
استھتی پیدا ہوئی ہے۔ اسکے لئے کیندر سرکار
بھی جوابدہ ہے۔ اتنے دنوں تک راج کرنے والی
جو پرمکھ پارٹیاں ہیں وہ بھی جوابدہ ہیں جنہوں
نے اس استھتی کو پیدا کیا۔۔ "مداخلت"۔۔

شری اجیت جوگی: آپ سب بھی
جوابدہ ہیں۔۔۔ "مداخلت"۔۔

شری جلال الدین انصاری: جوگی جی
آپ اپنی جوابدہی کا خیال رکھئے۔ ہم اپنی
جوابدہی کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ آپ اس
دیش کی بڑی پارٹی ہیں۔ کیندر میں شاسن
آپکا ہے۔ اسلئے سب سے ادھک جوابدہی
آپکی ہے۔ آپ مسجد تڑوانے میں ساجھیدار
ہیں۔ وہاں جو پرستھتی ہے اسکے لئے آپ ساجھیدار
ہیں۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ اس
اپرادھ کی جوابدہی سے آپ بری نہیں ہو
سکتے ہیں۔ میں اس سدن کے مادھیم سے
آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔۔ "مداخلت"۔۔۔
وہ بھی آپکے منتری تھے۔ پردھان منتری نے
کہا تھا کہ مسجد نہیں ٹوٹے گی۔ اور اڈوانی
جی تھے، کلیان سنگھ پر انکو وشواس تھا لیکن
دونوں نے ملکر کے دیش کی جنتا کے ساتھ
سنسد کے ساتھ وشواس گھات کیا۔ اس
جوابدہی سے ہندوستان کی جنتا آپکو بری
نہیں مانتی ہے۔ اسکا جواب سمے پر
جنتا آپ سے بھی اور ان سے بھی لیگی۔
اسلئے آپ اس سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔
یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ اسلئے انت میں ہم
دو مانگ کرتے ہیں کہ راشٹرپتی شاسن
کی اودھی بڑھائی جائے۔ لیکن لوک سبھا کے
ساتھ اتر پردیش ودھان سبھا چناؤ کرانے
کی کیندر سرکار گارنٹی کرے۔ دوسرا کہ راشٹر
پتی شاسن میں جو ودھی اور ویوستھا
کی حالت بہت خراب ہے۔ اسمیں پولیس
اور پرشاسن کو چست کرکے۔ سخت کرکے
ودھی اور ویوستھا کو نینترت کیا جائے۔
اور اپرادھک گروہوں اور مافیا کو بند
کریں۔ انکی حرکتوں پر سخت کارروائی کریں۔
تاکہ عام جنتا کو امن اور قانون کے سہارے
جینے کا اوسر پردان کریں یہ بھی آپکی جوابدہی
ہے۔ تو راشٹرپتی شاسن میں آپ کسی دوسرے
پر آروپ نہیں لگا سکتے ہیں۔۔ "مداخلت"۔۔
راجیہ پال تو انکے ماتحت ہی ہیں۔ "مداخلت"۔۔
اور حوالہ میں ہیں تو حوالہ کا تو جو معاملہ ہے وہ

الگ معاملہ ہے اسمیں قانون اپنی کاروائی کرے گا۔

انہی شبدوں کے ساتھ سمرتھن کرتے ہوئے ہماری دو مانگیں ہیں اور ہم مانیئے گرہہ منتری جی سے انورودھ کرینگے کہ اس سدن کی بھاوناؤں اور جنتا کی بھاوناؤں کا خیال کرتے ہوئے سمے پر چناؤ کرکے جن پرتی ندھیوں کی سرکار بنائیے۔ اسکی جوابدہی ہوگی کہ اپنی جوابدہی کا پالن کریں اور ابھی جو آپکا راجیہ وہاں پر ہے اسمیں ودھی ویوستھا اور جنتا کی سہولتوں کا خیال کریں۔ اسمیں سدھار کریں۔ انھیں شبدوں کے ساتھ میں اپنی بات سماپت کرتا ہوں۔]

श्री सत्य प्रकाश मालवीयः माननीय उपसभाध्यक्षजी, हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें जनता द्वारा चुनी हुई विधान सभा और जनप्रिय सरकार, इसका कोई दूसरा विकल्प हो नहीं सकता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में किन्हीं परिस्थितियों में 18 अक्तूबर, 1995 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और इसकी अवधि अब 18 अप्रैल 1996 को समाप्त हो रही है। जितनी जल्दी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाएं वह जनहित में अच्छा होगा और लोकप्रिय सरकार वहां पर कायम हो जाएगी, विधान सभा बन जाएगी। लोक सभा के चुनाओं की चर्चा अभी चल रही है और आम तौर पर सदस्यों ने यह मांग की है कि लोकसभा और विधान सभा के चुनाव साथ-साथ होने चाहिए। हमारे देश में जो संविधान लागू हुआ है उसके बाद 1952 में पहली बार इस देश में विधान सभाओं और लोक सभा के चुनाव हुए। मैं अपनी बात केवल उत्तर प्रदेश की विधान सभा और लोक सभा के चुनावों तक सीमित रखना चाहता हूं। 1952, 1957, 1962 और 1967 में चार जब आम चुनाव हुए तो चारों लोक सभा और विधान सभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में साथ-साथ हुए। मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है कि केन्द्र सरकार के पास क्या कठिनाई है कि लोक सभा और विधान सभा के उत्तर प्रदेश के चुनावों को साथ साथ नहीं करा सकती है। आम तौर से विपक्ष की यह भी मांग रही है कि लोक सभा के चुवाव जल्दी हो जाने चाहिए। 18 अप्रैल के पहले उत्तर प्रदेश की विधान सभा और सारे देश की जो लोक सभा है इसके चुनाव कराने में क्या दिक्कत है, यह गृह मंत्री जी को बतलाना चाहिए। दूसरा, यहां पर जो मौसम है, इस देश का अप्रैल का जो मौसम होता है, बहुत अनुकूल मौसम होता है चुनावों के लिए—न ज्यादा गर्मी होती है, न बरसात और न सर्दी होती है। इसलिए मैं तो इस प्रस्ताव का अपनी पूरी ताकत के साथ विरोध करता हूं और इस बात की मांग करता हूं कि 18 अप्रैल के पहले-पहले ही उत्तर प्रदेश की विधान सभा और सारे देश की लोक सभा के चुनाव कराने चाहिए। बाकी 6 विधान सभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। वह मामला चुनाव आयोग के हाथ में था। चुनाव अयोग ने इस बात का निर्णय लिया है कि जब भी हम लोक सभा के चुनाव कराएंगे तो बाकी जो 6 विधान सभाएं हैं चाहे तमिलनाडु की हो, पश्चिमी बंगाल की हो या और भी जो चार विधान सभाएं है उनके चुनाव साथ-साथ कराएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार से चुनाव साथ-साथ होने चाहिए।

दूसरा, मुझे लगता है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। कोई कारण नहीं है कि वहां चुनाव न हो और कोई ऐसा कारण नजर नहीं आ रहा है कि चुनाव क्यों नहीं वहां करवाएं जाएं।

हमारे भा०ज०पा० के मित्र भी बहुत जल्दी किसी के मित्र बनते हैं और बहुत जल्दी ही जो मित्र की श्रेणी में हैं उनसे अलग हो जाते हैं। जब मायावती मुख्य मंत्री हुई तो मायावती जी ने इनको राखी बांधी। भाई बहिन का रिश्ता हो गया और अब भाई बहिन के पवित्र रिश्ते को इतनी जल्दी तोड़ दिया ....**(व्यवधान)**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): भाई बहिन का रिश्ता दो व्यक्तियों के बीच में होता है आप संस्थाओं के बीच में जोड़ रहे हैं ....**(व्यवधान)** आप गलती कर रहे है कि सारी संस्थाओं को आप जनाना बना रहे हैं, समाजवादी पार्टी को आप जनाना बना रहे है .... **(व्यवधान)**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: आपके साथ माथुर साहब जनाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जनाने की कोई दूसरा बात करे तो मैं समझ सकता हूं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि मायावती की सरकार ने....**(व्यवधान)**..... कुछ गौतम जी ने भी चर्चा किया, और एक काम मायावती की सरकार ने बहुत अच्छा किया जो पिछले विपक्ष की सरकारों ने या कांग्रेस की सरकारों ने कभी नहीं किया कि पहली बार उत्तर प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति को मुख्य सचिव बनाया जो अनुसूचित जाति के थे। अनुसूचित जाति के होते हुए भी वे अनुसूचित जाति के कोटे से I.A.S. नहीं बने थे बल्कि वह जनरल कैटेगरी से आई०ए०एस० बने थे और पहली बार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति मुख्य सचिव बना। उनका नाम माता प्रसाद है और मैं उनको 25 साल से जानता हूं।........**(व्यवधान)**

श्री अजीत जोगी: यह बहुत अच्छी बात कही है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: इसलिए मैं मायावती की सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता कि एक अच्छा काम किया। दो बात मैं और कहना चाहता हूं उत्तराखंड के मसले को ले करके। एक तो 13 अधिकारियों के ऊपर वहां पर कुछ कार्यवाही चल रही है। अदालत में कार्यवाही चल रही है उसमें दो आई०जी० हैं, कुछ और छोटे अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, सुपरिंटेंडेंट आफ् पुलिस हैं, डिप्टी एस०पी० हैं, इंसपैक्टर आफ् पुलिस हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर सी०बी०आई० ने जांच किया और उसके बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल हो गई। लेकिन वे 13 के 13 अधिकारी किसी न किसी पद पर आज भी बने हुए हैं। जब आज उत्तर प्रदेश में राज्यपाल का शासन है तो उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जवाबदेही केन्द्र सरकार की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जितने भी गंभीर आरोप होंगे, अपराधिक आरोप होंगे, क्रिमिनल ऑफेंसेज़ हैं, अधिकारियों का प्रासीक्यूसन हो रहा है तो क्यों नहीं उन अधिकारियों को अपने-अपने पदों से निलंबित किया गया? इसका मैं जवाब चाहूंगा।

दूसरा उत्तर प्रदेश की दो विधान सभा, एक विधान सभा श्री मुलायम सिंह के जमाने की और दूसरी विधान सभा श्री कल्याण सिंह के जमाने की, दोनों विधान सभाओं ने अलग-अलग समय में सर्वानुमति से यह प्रस्ताव पारित किया कि उत्तर प्रदेश में 8 जो पर्वतीय जिले हैं उनको ले करके वहां पर एक पृथक राज्य बनना चाहिए। विधान परिषद ने भी प्रस्ताव पारित किया है। जिस वक्त प्रस्ताव पारित हुआ चूंकि सर्वानुमति से प्रस्ताव पारित हुआ तो उस पार्टी के मैंबर भी वहां पर मौजूद थे जिस पार्टी के आज श्री चव्हाण साहब आज सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग और एक भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया और उत्तराखंड के लोग मांग कर रहे हैं। जब यहां पर अपना प्रदर्शन ले करके आते हैं तो बेचारे बलात्कार से पीड़ित होते हैं, जेल भेजे जाते हैं, उनके ऊपर गोली चलती है, मरते हैं, लाठी खाते हैं। इसी उत्तराखंड की मांग को ले करके गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्तूबर, 1994 को दिल्ली आ रहे थे जिसके संबंध में आज मुकदमा चल रहा है। आज भी उत्तराखंड के लोग मांग कर रहे हैं। तो जब दो दो विधिवत् जनता द्वारा निर्वाचित हुई विधान सभाओं ने और दो अलग-अलग पार्टी की सरकारों ने प्रस्ताव पारित कर दिया तो आखिर उत्तराखंड के लोगों को क्यों आप वंचित कर रहे हैं उनकी जो उचित मांग है उसको ले करके इसका आप उत्तर दीजिएगा। और फिर मैं इस बात का विरोध करता हूं, खर्चा बचाना चाहिए आखिर वे लोग बहुत गरीब हैं। अभी नीलोत्पल जी ने कहा कि, ours is not a very rich country. Ours is a very poor county. 50 परसेंट पीपुल पावर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। आखिर जब दो बार आप अलग-अलग चुनाव कराइयेगा तो खर्चा नहीं होगा? क्यों

गरीब जनता का पैसा आप खर्च करते हैं, बर्बाद करते हैं? उम्मीदवारों का पैसा भी खर्च होगा और फिर हवाला कांड होगा।

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि सदन की भावना को देखते हुए, जनता की भावना को देखते हुए जो संविधान की नीयत है, संविधान की भी यही भावना है कि लोकप्रिय सरकार होनी चाहिए, जनता द्वारा चुनी हुई विधान सभा होनी चाहिए। इसलिए इन शब्दों के साथ, मैं आपके इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और इसीलिए मैंने अपना संशोधन रखा है कि आपने जो 6 मास मांगा है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अनुमति लेना ही है तो कमसे कम, दो मास की मिलना चाहिए जिससे कि कम से कम जून के पहले वहां पर चुनाव हो।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Now, the hon. Home Minister has to reply to the debate.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S.B. CHAVAN): Mr. Vice-Chairman, Sir, I have to express my gratitude to all the hon. Members for participating in the debate and also expressing their views according to their own personal feelings that they must have about the administration in that area. Sir, there is no doubt that President's Rule can never be a substitute for an elected government. In fact, we are for having an elected Government as soon as possible. We do not propose to unnecessarily extend the period but, at the same time, there are certain realities and I appeal to every hon. Member to understand the situation created. Who has been responsible is another matter. If the hon. Members are interested, certainly I can give all the details but I do not think this is the proper time when I can possible attempt to blame one party or the other. Situations had been really created which, in fact, are mainly responsible for the kind of situation that we are facing today in U.P. This is not just in U.P. but everywhere. I would request the hon. Members to consider dispassionately whether with issues before the Parliament and issues before the Assemblies you are interested in confusing those issues or you are interested in getting a clear mandate on the fundamental issues which the country is facing today.

According to me, the issue that we are facing today is about the basic structure of our Constitution—whether secularism of the country is going to remain or you would like to confuse issues by having some local issues mixed with those and mislead the people by confusing them. I do not think any of the hon. Members are interested in confusing both these issues. Let us be very clear and let the people give their clear verdict, specially on an issue on which the future of the country depends. Therefore, I earnestly feel that we should not give any scope for misleading, which some people might resort to by bringing in some local issues and trying to influence the opinion of local administration. If something else has gone wrong, some officer has not behaved properly with people, it is understandable. I will not justify any of the wrong actions taken by any people. If they have committed a mistake, certainly they should be held responsible and I would not plead on their behalf for any kind of protection to those officers. But protection of one officer, transfer of one officer, cannot be an issue which you can confuse with the elections which are going to be held.

The issue before Parliament, especially before the electorate in the forthcoming

Parliamentary elections is going to be the basic issue and on that issue all hon. Members should consider seriously whether they would like to have confusion created or to have a clear mandate, that this country has to have a secular fabric and would not like to create any kind of confusion between the two. That is the only point which I have. Of course, there are other practical difficulties which I would like to bring to the notice of the House.

One is that there are certain States which now have acquired a kind of reputation for rigging in a big way. I would not like to give a very specific example of one area or the other but the fact remains that rigging in a big scale has become the kind of specialised activity on the part of some people. This is one of the areas where, I am sure, with the kind of mafia gangs to which the hon. Members made a reference, every candidate will also require some kind of protection against all the anti-social elements, who, in fact, are very much interested in creating a situation in which people who, in fact, have an authority and entitlement for voting are prevented from exercising their franchise.

[The Deputy Chairman *in the Chair]*

So, my difficulty is going to be that we have very limited manpower with us.

I am sure when the elections are declared not only for Parliament but also for Assemblies, every candidate will definitely ask for protection to be given to him. In that situation whether it is going to be possible for the Central Government to provide so many companies of para-military forces which, according to me, are very essential for holding the elections. They have to be fair and just also. Nobody is dissuaded, forced and coerced not to go for the elections. If that kind of a situation has to be faced, I am sure, there is no escape. We will have to provide security not only to the candidates but also to the officers who, in fact, are going to man all these polling stations. My request to the hon. Members is to consider the kind of accommodation that is going to be required, the number of teachers and professors who are going to be required to do the polling duties. If elections are held sometime, say, in April, the hon. Members will realise that these are the days when examinations are held. I have got full information that educational institutions where normally the polling stations are located, will not be available. Teachers, who, in fact, are going to man the elections, their availability is also not possible. Almost 40 lakh or 50 lakh students have to appear for the examinations. Besides this, I have my difficulty in the matter of providing security forces. If they do not ask, of course, there would not be any problem. But, so far as my information goes, there are areas where people may not like to see that the forces to this extent should be deployed. But, one thing is absolutely clear in my mind, if that is the position, then the mafia gangs operating in that area will see to it that the poorer sections of the society are not able to exercise their right to vote.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: मैडम, मैं यह कहना चाहूंगा, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और मंत्री महोदय, आपने ऐसा कह दिया जैसे कि उत्तर प्रदेश माफिया गैंग के अधीन है, आज जितना महाराष्ट्र में माफिया मुम्बई में

है उसका एक बटे सौ भी उत्तर प्रदेश में नहीं है। यह मैं मानता हूं कि वहां पर कुछ न कुछ माफिया के लोग हैं, लेकिन आपने ऐसी तस्वीर बनाई है मेरे प्रदेश के बारे में, जैसे माफिया का ही राज वहां है और आप उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप यह करना चाहते हैं तो साफ तौर से कहिए कि हम अलग से चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रदेश को अगर आप माफिया का सारा बताकर ऐसा बहाना लेना चाहते हैं, तो इसमें मुझे बड़ा ओब्जेक्शन है।.........(व्यवधान)......

श्री एस० बी० चव्हाण: नहीं, नहीं। ......(व्यवधान).....

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: हां, कुछ लोग होंगे, लेकिन यह कहना उचित नहीं कि सारा माफिया का प्रदेश है और वहां कुछ हो नहीं सकता, चुनाव हो नहीं सकता। लोक सभा का हो सकता है, असेम्बली का साथ-साथ नहीं हो सकता, यह तो एक प्रकार का अत्याचार है हमारे साथ। गलत बात है। ....(व्यवधान)......

श्री एस० बी० चव्हाण: नहीं, नहीं। ......(व्यवधान).....

उपसभापति: आप होम मिनिस्टर की स्टेट को कैसे माफिया स्टेट कहते हैं। ....(व्यवधान)........

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: ऐसा कहा है कि चूंकि माफिया है वहां पर, इसलिए असेम्बली के चुनाव नहीं हो सकते। मेरे प्रदेश को आप माफिया का प्रदेश बता रहे हैं। ....(व्यवधान)........ माफिया वहां नहीं है, कश्मीर जैसी स्थिति नहीं है कि आप वहां चुनाव न करा सकें आप बहाना लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन आप साफ साफ कहिए कि हमने दूसरे कुछ दलों के साथ सांठगांठ करके कर लिया है। ....(व्यवधान)....... आप जो कहिए, साफ साफ कहिए। आपको मालूम था कि चुनाव होने वाले हैं ....(व्यवधान)......। मैडम, 31 अक्तूबर से आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ,कोई झंझट नहीं हुए। आप बता दें कि अक्तूबर से, जबसे राष्ट्रपति का राज आया है, कितने झगड़े हुए हैं, कितने मर्डर हुए हैं, जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि माफिया राज है और चुनाव नहीं हो सकते? ....(व्यवधान)....

श्री एस० बी० चव्हाण: माथुर साहब, आप भाषण देने के बजाय.......(व्यवधान).......

श्री सुरिन्दर कुमार सिंगला (पंजाब): सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सभी कुछ बताती है कि वहां पर क्या हुआ?........(व्यवधान).......

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ....(व्यवधान)...... आप तो कम से कम ऐसी बात मत कीजिए। ....(व्यवधान)......मुझे सख्त एतराज है, जो आपने उत्तर प्रदेश को माफिया का प्रदेश दिखाने की कोशिश की है। मैं इस पर ओब्जेक्शन ले रहा हूं। आप ऐसा बहाना मत लीजिए। ......(व्यवधान)........

श्री एस०बी० चव्हाण: नहीं, नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है। माथुर साहब के होते हुए उत्तर प्रदेश के बारे में ऐसी राय का यहां पर इज़हार करना, यह मुनासिब होगा, यह मैं नहीं मानता हूं। ......(व्यवधान)......

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: बात तो आपने यही कही है कि केन्डीडेट्स को मुझे प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, माफिया है क्या वहां पर?

श्री एस० बी० चव्हाण: मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं ....(व्यवधान)........

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल: आपके कहने का मतलब यह है कि जब तक यह उत्तर प्रदेश में नहीं हैं, वहां सब खैरियत है? .....(**व्यवधान**)......

+[شری محمد افضل عرف م - افضل: آپکے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ اتر پردیش میں نہیں ہیں۔ وہاں سب خیریت ہے۔۔ ۔۔"مداخلت"۔۔]

श्री एस०बी० चव्हाण: इसीलिए तो वे दिल्ली में है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: दिल्ली में है, आपकी सोहबत में है।

SHRI S. B. CHAVAN: Madam, I was just expressing my views. Certain sections of society not being allowed to exercise their franchise is a fact of life which you cannot possibly say that it does not hold good in a particular area and it is only good in a different area. In fact, we would like to see that all the people are able to exercise their franchise and that is why I was on a general point. I never said that it is purely confined to that. Actually, when the Governor or the Chief Secretary of a State asked me about providing paramilitary forces for manning elections — this is one of the reasons just being stated by some of the people — I cannot possibly say that I do not have the force. But we will have to stagger the elections and see that we are able to hold elections in a proper atmosphere. That is the only point. I cannot possibly say that it is only Uttar Pradesh, there are other areas where a similar kind of situation does take place and that is why it becomes all the more necessary that we do not confuse these two things. I was only on that point, I never wanted to say that it is only Uttar Pradesh which is having this kind of a situation. Madam, there was one more point about Muzaffarnagar and the kind of incidents that have taken place in that area. The High Court of Allahabad gave the judgement and in the judgement those who had come to Muzaffarnagar and thereafter who were to come to Delhi to represent their point of view about a demand for a separate State of Uttarakhand. Unfortunately, some very shameful incidents did take place in that area and the judgement, clearly shows that in the agitation in Muzaffarnagar and roundabout areas 24 people were killed, 17 women were raped and the number of women molested were seven, the number of persons who were detained and lodged in far-off jails was 398. For each category the High Court has given a specific amount which has to be provided as a kind of compensation. That is why it becomes all the more necessary to be careful and to see that these people are properly compensated for the agonies which they had to go through. The High Court has given an order that Rs. 10 lakhs have to be provided to the kith and kin of those who were killed, Rs. 10 lakhs have to be given to women who have been raped and Rs. 5 lakhs for those who were molested.

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश): माननीया उपसभापति महोदया, मैं एक बात जानना चाहूंगा .....

उपसभापति: देखिए यह तरीका ठीक नहीं है .....

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: उसी संदर्भ में ....

उपसभापति: कि जब कोई बोल रहा हो और आप ऐसे टोकें तो यह ठीक नहीं है। पहले उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: मैं उसी संदर्भ में पूछना चाहता था।

+[ ] Transliteration in Arabic Script.

उपसभापति: उसी संदर्भ में आप पूछ सकते हैं लेकिन पहले उनकी बात पूरी हो जाए, फिर आप पूछिए, मैं अलाऊ कर दूंगी।

SHRI S.B. CHAVAN: Madam, one point was raised by an hon. Member, Shri Malaviyaji, about the number of officers who are being prosecuted and against whom chargesheets have been filed. According to my information, chargesheets have not yet been filed. I will have to verify the same. I cannot say offhand. I am trying to give whatever information I have. If I had an indication about this—that you are going to raise this matter—I would have got the information ready with me. But I can say that if the chargesheets have been filed against the officers, of course, they may have to be suspended. I do not think there is any other option left with the State Administration.

The High Court has also asked for different amounts to be given for specific purposes. They have prescribed Re. 1/- per day for the entire plan period. They have asked for specific schemes.

One point more, Madam, and I am done. This is about the demand for a separate Uttarakhand State. I have requested my esteemed colleagues, the Ministers of State and they have held discussions with all those who are interested in the creation of a separate State. I have also told them. After these discussions are over, I am going to personally discuss with three or four of them who are really serious about certain issues. Let them come to me and I would discuss with them. Thereafter, some kind of an amicable solution can be found, if it is possible. We would try our level best to convince the people that there are certain compulsions due to which a certain course of action would be called for. As to what it is, I cannot, at this stage, say anyting. After discussing with them, whatever be the barest minimum on which there could be some kind of a consensus, it would be my responsibility to see that, to the extent possible, some kind of a solution which would satisfy a large number of people is worked out. How it has to be done, I cannot, possibly, say, at this stage.

Madam, I can really say that there should be no apprehension in the minds of the people that we are, unnecessarily, trying to prolong the President's rule. That is why, perhaps, Mr. Malaviya has moved an amendment that instead of 'six months', it should be 'two months'. I can assure him that after the Parliament elections are over, we would try to see that elections are held. We need not wait for six months. We can have the elections.....

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: You would not be there. After the Parliament elections, you would not be there. You are not going to be there.

SHRI S.B. CHAVAN: You need not worry then. You need not worry at all.

If we are not going to be there, if you are going to administer the whole country, why are you making this point and asking for my explanation about this?

You can be rest assured. Our intentions are very clear. We do not want to prolong this. It was only due to some practical difficulties that we had to ask for six months. This can be revoked even earlier.

Six months have been asked for, but within two months, three months, elections can be held. If elections are possible, certainly, we would try to see that elections are held as early as possible. I can assure them. It may not be up to October. Elections can be held even earlier. What we have done here is, we have only asked for six months. When they know that this could be revoked earlier, there is no reason why they

should insist for a specific period of two months. I would request the hon. Member not to insist on his amendment. I would request the House to support the Statutory . Resolution and pass it unanimously.

Thank you, Madam.

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त): सदर साहिबा, मैं यह पूछना चाहता हूं, एक लफ्ज़ बीच में इस्तेमाल किया गया, मैंने टोकना नहीं चाहा, 'कंपनसेशन' का लफ्ज़ हम बहुत बेतकल्लुफ इस्तेमाल करने लगे हैं। इतनी सारी औरतों के साथ ज़िस्मानी ज्यादती हुई है, Can you compensate them by money? इस किस्म के लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं इस किस्म की भयानक हरकतों के बाद?

†[شری سکندر بخت: صدر صاحبہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک لفظ بیچ میں استعمال کیا گیا میں نے ٹوکنا نہیں چاہا۔ "کمپنسیشن" کا لفظ ہم بہت بے تکان استعمال کرنے لگے ہیں۔ اتنی ساری عورتوں کے ساتھ جسمانی زیادتی ہوئی ہے "کین یو کمپنسیٹ دیم بائی منی" اس قسم کے لفظ کیوں استعمال کئے جاتے ہیں اس قسم کی بھیانک حرکتوں کے بعد۔]

श्री एस० बी० चव्हाण: मैं आपकी भावनाओं को मंजूर करता हूं और मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इसको 'कंपनसेशन' नहीं कहा जा सकता है लेकिन यहां कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट के ऑर्डर में जो लफ्ज़ है, वही मैं यहां पर कह रहा हूं। इसको 'रिलीफ' कहना चाहिए, 'रिलीफ' कहा जाए तो वह मुनासिब बात होगी।

श्री विष्णुकांत शास्त्री: माननीय उपसभापति महोदया, गृह मंत्री जी ने अभी यह स्वीकार किया कि अपराधी अधिकारियों के विरुद्ध वे अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं करवा सके हैं।

उपसभापतिः मैंने जो सुना, वह मैं आपको बताऊं, आपने पूछा है कि उन अधिकारियों को क्यों सस्पेंड नहीं किया गया? उन्होंने कहा कि अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि कुछ अफसरों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई है।

4 P.M.

अगर हो गई है तो वह मालूम करके बताएंगे कि उन्हें संस्पेंड क्यों नहीं किया अब तक। यह बात उन्होंने कही थी।

श्री विष्णु कान्त शास्त्रीः इसी के साथ मैं यह जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्या उनके ऊपर भी मुकदमा चलाने की बात आपके राज्यपाल या आप सोच रहे हैं?

श्री एस० बी० चव्हाणः मुख्य मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की बात ....**(व्यवधान)**

श्री रामगोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): मैडम्, यह बड़ी दिक्कत है कि सारे हिन्दुस्तान में कहीं कोई चीज इनको दिखाई पड़े, इनको मुलायम सिंह जी दूर से दिखाई पड़ते हैं। यानी फोबिया हो गया क्या? आई एम सौरी।

श्री विष्णु कान्त शास्त्रीः नहीं, बिल्कुल सच्चाई दिखाई पड़ती है।

श्री एस० बी० चव्हाणः यह पौलिटिकल मामले का हल पौलिटिकली ढूंढना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात, यह उसका पौलिटिकली सोल्यूशन नहीं है। पौलिटिकली जो बात उन्होंने की है, अगर गलत की है तो उसका सोल्यूशन पौलिटिकल निकालिए और इलेक्शन के वक्त लोगों को यह बताइए कि इन्होंने यह काम किया था। उसका पौलिटिकल सोल्यूशन निकालना यह उसका रास्ता है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुरः प्रधान मंत्री जी भी आ गए हैं। हम जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कब तक कराएंगे। ....**(व्यवधान)** लोक सभा और असेंबली के चुनाव क्या इकट्ठे कराएंगे या नहीं? हमको साफ स्थिति चाहिए। ....**(व्यवधान)**

उपसभापतिः माथुर साहब।

श्री जगदीश प्रसाद माथुरः हम इस विषय में कुछ तय नहीं कर सकते। आप डेट बतला दीजिए की फलां दिन कराएंगे। सारे दलों ने मांग की है कि चुनाव साथ होने चाहिए। ....**(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have identified somebody else. Other Members are also present in the House.

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश): मैडम्, यह सही है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अवधि छः महीने और बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रस्ताव किया है। लेकिन चुनाव कराने में ऐसी कौन सी सिचुएशन है उत्तर प्रदेश में—कश्मीर जैसी, पंजाब जैसी, जिसकी वजह से पार्लियामेंट के चुनाव के साथ-साथ विधान सभा का चुनाव सरकार नहीं करा पा रही है? इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए।

उपसभापतिः उन्होंने किया है स्पष्टीकरण।

श्री एस॰ बी॰ चव्हाणः मैंने किया है, आप देर से आए हैं।

उपसभापतिः मालवीय जी, आप अपना अमेंडमेंट प्रेस कर रहे हैं या विदड्रॉ कर रहे हैं?

श्री सत्य प्रकाश मालवीयः मैं शंकरराव जी का बहुत सम्मान करता हूं। कोई और दूसरे ने आश्वासन दिया होता तो मैं अपना संशोधन वापिस नहीं लेता, क्योंकि शंकरराव जी ने आश्वासन दिया है, मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

उपसभापतिः आपने किसी का आश्वासन माना, बहुत अच्छा है।

(The amendment was, by leave, withdrawn)

श्री सिकन्दर बख्तः मैडम्, यह क्या हुआ?

†[شری سکندر بخت: میڈم یہ کیا ہوا-]

उपसभापतिः उन्होंने अपना अमेंडमेंट वापिस ले लिया है, उन्होंने प्रेस नहीं किया। यह हुआ है।

श्री सिकन्दर बख्तः हमारे एक सदस्य ने पूछा है लीडर आफ दि हाऊस से, तो उसका जवाब मिलना चाहिए।

†[شری سکندر بخت: ہمارے ایک ممبر نے پوچھا ہے لیڈر آف دی ہاؤس سے تو اسکا جواب ملنا چاہیئے]

उपसभापतिः जवाब दे चुके हैं।

श्री सिकन्दर बख्तः न तो आपकी सरकार यह ऐलान करती है कि यह आम चुनाव कब होंगे। ....(व्यवधान) आखिर जब पार्लियामेंट के चुनाव हो सकते हैं तो स्टेट के, असेंबली के चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं। इसकी कोई बाज़े वजह तो आप बताइए। ....(व्यवधान)

†[شری سکندر بخت: نہ تو آپکی سرکار یہ اعلان کرتی ہے کہ یہ عام چناؤ کب ہونگے- ...."مداخلت"... آخر جب پارلیمنٹ کے چناؤ ہو سکتے ہیں تو اسٹیٹ کے اسمبلی کے چناؤ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں اسکی کوئی واضح وجہ تو آپ بتائیے... "مداخلت"]

श्री एस॰बी॰ चव्हाणः मेरी आधी से ज्यादा स्पीच इसी पोइंट पर थी। दोनों को कंफ्यूज़ न करो। ....(व्यवधान)

श्री सिकन्दर बख्तः आपको लोक सभा के चुनाव के लिए कानून-व्यवस्था का बंदोबस्त करना होगा। वह कानून-व्यवस्था का बंदोबस्त असेंबली के चुनाव के लिए भी होना चाहिए। इसके लिए अलहदा से इंतजाम हो, उसका कुछ पता चलना चाहिए। बताइए, क्यों है आखिर ऐसा? नहीं, सदर साहिबा यह सरकार हर मामले में बलडोजर चलाती है। यह बिल्कुल नामुनासिब बात है। आखिर जब आप पार्लियामेंट के चुनाव कराना चाहते हैं, अव्वल तो कब कराना चाहते हैं वह तारीख बताइए और पार्लियामेंट के चुनाव के लिए आपको कानून और व्यवस्था का बंदोबस्त करना होगा, वही कानून और व्यवस्था का बंदोबस्त असेंबली के चुनाव के लिए भी हो सकता है। ....(व्यवधान)

†[شری سکندر بخت: آپکو لوک سبھا کے چناؤ کیلئے قانون و ویوستھا کا بندوبست کرنا ہوگا- وہ قانون و ویوستھا کا بندوبست اسمبلی کیلئے بھی ہونا چاہیئے- اسکے لئے علیحدہ سے انتظام ہو- اسکا کچھ پتہ چلنا چاہیئے بتائیے کیوں ہے آخر ایسا - نہیں صدر صاحبہ یہ سرکار ہر معاملے بلڈوزر چلاتی ہے - یہ بالکل نامناسب بات ہے - آخر جب آپ پارلیمنٹ میں چناؤ

B - 99/MP/RSS/ND/97

کرانا چاہتے ہیں - اوّل تو کیا کرانا چاہتے ہیں -
وہ تاریخ بتائیے اور پارلیمنٹ کے چناؤ کے لیے
آپکو قانون و دستور کا بندوبست کرنا ہوگا -
وہی قانون اور دستور کا بندوبست اسمبلی
کے چناؤ کے لیے بھی ہو سکتا ہے - "مداخلت"...]

SHRI S.B. CHAVAN: About the date of election, I can assure the hon. Members of this House that within two or three days we are going to finalize it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Statutory Resolution to vote. The question is ....(*Interruptions*)..

श्री सिकन्दर बख्त: सदर साहिबा। ....(व्यवधान)

†[شری سکندر بخت: صدر صاحبہ -
"مداخلت"...]

THE DEPUTY CHAIRMAN: Don't interrupt.

श्री सिकन्दर बख्त: सदर साहिबा, ...(व्यवधान)

†[شری سکندر بخت: صدر صاحبہ - "مداخلت"...]

(At this stage, some hon. Members left the Chamber)

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

> "That this House approves the continuance in force of the Proclamation issued by the President on 18th October, 1995 under Article 356 of the Constitution in relation to the State of Uttar Pradesh, for a further period of six months with effect from the 18th April, 1996."

The motion was adopted.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—CONTD.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will have reply on the Motion of Thanks on the President's Address. Hon. Prime Minister..I would request the hon. Members, when the Prime Minister is replying to the Motion of Thanks, please listen to him peacefully. I would not like you to interrupt in between. So, please let him reply.

THE PRIME MINISTER (SHRI P.V. NARASIMHA RAO): Madam, ...(*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Whatever interruptions you want, do it now.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): वे इंटरप्ट कर रहे हैं ताली बजा कर। जैसे ही प्रधान मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हुए उन्होंने ताली बजा कर इंटरप्ट किया। इंटरप्ट वे लोग कर रहे थे। ....(व्यवधान)...

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): Kindly advise Congressmen against thumping.

उपसभापति: आप लोग बोलिए दस मिनट। मैं दस मिनट के बाद उनको बुलवा लूंगी मगर बीच में मत बोलिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पश्चिमी बंगाल): उन्हें भी बीच में नहीं बोलना चाहिए।

They should also restrain themselves.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Nobody will speak in between. I would not like anybody to speak. Let the Prime Minister speak. Please, order.